जिला–मधुबनी **दिनांक–23.06.2026**

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, झंझारपुर, मधुबनी
सत्र वाद संख्या : 929 / 2006
साधारण पंजी वाद संख्या–583 / 2002
झंझारपुर (भैरवस्थान) थाना कांड सं0–66 / 2002

सरकार (द्वारा चौकिदार 9 / 1 पुलकित पासवान, सूचक)
साकिन–निर्भापुर, थाना–भैरवस्थान, जिला–मधुबनी

..... अभियोजन

बनाम

01. मो0 शफीक पिता–बाबू जान (उम्र लगभग–60 वर्ष),
02. सनाउल्लाह पिता–शमसूल हक (उम्र लगभग–46 वर्ष),
03. अली हुसैन पिता–शेराउद्दीन (उम्र लगभग–97 वर्ष),
04. मो0 कासिम पिता–पुत हसन (उम्र लगभग–54 वर्ष),
05. नवीजान पिता–अलीहक (उम्र लगभग–73 वर्ष),
06. मो0 अताउल्लाह पिता–अयुब (उम्र लगभग–71 वर्ष),
07. अब्दुल वहीद पिता–हबीब (उम्र लगभग–53 वर्ष),
08. अब्बास पिता–मो0 जान (उम्र लगभग–76 वर्ष),
09. इजराइल पिता–मो0 जान (उम्र लगभग–65 वर्ष),
10. मुस्तफा पिता–नवीवक्स (उम्र लगभग–85 वर्ष),
11. कलीमुल्लाह पिता–अयूब (उम्र लगभग–62 वर्ष),
12. मो0 इस्लाम पिता–गपफार (उम्र लगभग–76 वर्ष),
13. बेलाल पिता–इसराइल (उम्र लगभग–60 वर्ष),
14. सत्तार पिता–इस्माइल (उम्र लगभग–87 वर्ष),
15. शाकीर पिता–पुतहसन (उम्र लगभग–77 वर्ष),
16. रजिक पिता–नवीजान (उम्र लगभग–60 वर्ष),
17. मो0 रिजवान पिता–अताउल्लाह (उम्र लगभग–45 वर्ष),
18. मो0 इरफान पिता–अताउल्लाह (उम्र लगभग–37 वर्ष),
19. मुमताज पिता–महिउद्दीन (उम्र लगभग–40 वर्ष),
20. समद पिता–रहमत (उम्र लगभग–47 वर्ष),
21. अहमद पिता–रहमत (उम्र लगभग–46 वर्ष),
22. मुर्तूजा पिता–नवीवक्स (उम्र लगभग–78 वर्ष),
23. सैफुल्लाह पिता–मुर्तूजा (उम्र लगभग–41 वर्ष),

साकिनान–रैयाम, थाना–भैरवस्थान, जिला–मधुबनी

..... अभियुक्तगण

अपराध की तिथि:–16.06.2002

प्राथमिकी की तिथि:–17.06.2002

आरोप पत्र की तिथि:–21.07.2005

संज्ञान की तिथि:–23.12.2005

दौरा सुपुर्दगी की तिथि:–16.11.2006

आरोप गठन की तिथि:–07.03.2007

साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि:–02.04.2007

साक्ष्य बंद होने की तिथि:–24.05.2016

बयान दर्ज होने की तिथि:–19.05.2026

सफाई साक्ष्य बंद होने की तिथि:–09.06.2026

पूर्ण बहस होने की तिथि:–12.06.2026

निर्णय पर नियत करने की तिथि:–15.06.2026

निर्णय की तिथि:–23.06.2026

सजा देने की तिथि, यदि कोई हो :–

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री देवशंकर झा (सहायक लोक अभियोजक)

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री परशुराम मिश्रा

निर्णय तिथि–23.06.2026

उपस्थित : अनिल कुमार राम,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय,
झंझारपुर, मधुबनी

नि र्ण य

01. प्रस्तुत थाना कांड के उपरोक्त नामजद अभियुक्तगण 01. मो0 शफीक, 02. सनाउल्लाह, 03. अली हुसैन, 04. मो0 कासिम, 05. नवीजान, 06. मो0 अताउल्लाह, 07. अब्दुल वहीद, 08. अब्बास, 09. इजराइल, 10. मुस्तफा, 11. कलीमुल्लाह, 12. मो0 इस्लाम, 13. बेलाल, 14. सत्तार, 15. शाकीर, 16. रजिक, 17. मो0 रिजवान, 18. मो0 इरफान, 19. मुमताज, 20. समद, 21. अहमद, 22. मुर्तूजा एवं 23. सैफुल्लाह का भा0दं0वि0 की धारा–307/149, 353, 467, 342, 504 के अंतर्गत विचारण किया गया है।

02. अभियोजन कहानी का अंतर्सार, सूचक चौकिदार पुलकित पासवान के आधार पर यह है कि चौकिदार शेख मंजूर आलम को शेख मुस्तफा उर्फ नथुनी की पत्नी को उसके टोला के लोग मार–पीट एवं गाली–गलौज करते है उससे सुरक्षा देने हेतु पत्र प्राप्त था जिसके लिए वह दिनांक 16.06.2022 को मुस्तफा की पत्नी से उसकी स्थिति की जायजा लेने चौकिदार पुलकित पासवान के साथ चौकिदार शेख मंजूर आलम पहुंचकर मुस्तफा की पत्नी से पुछा तो मुस्तफा की पत्नी बोली की अभी भी उनके विरोधी पक्ष उन्हे गाली–गलौज करते है। इसपर मंजूर चौकीदार ने शहीद एवं उसकी पत्नी को बोले कि मुस्तफा की पत्नी को गाली–गलौज करना बंद करे। इसपर वे लोग उतेजित हो गये तब मंजूर आलम उनलोगो की शिकायत थाना में करेगे यह कहते हुए वहां चला। चौकीदार मंजूर आलम के साथ सूचक जैसे ही मुस्तफा के दरवाजे से बढ़ा तभी शेख शहीद, शेख अताउल्लाह, शेख वाहीद एवं शेख अब्बास इन लोगों ने घेर लिये और गाली–गलौज शुरू कर दिये तब तक 40–50 आदमी अभियुक्त लोग के सहयोग में जुट गये और ये लोग सूचक एवं चौकीदर मंजूर आलम को टांगकर मदरसा में ले जाकर एक कमरा में बंद कर दिया तथा अताउल्ला आदेश दिये कि साले को बांधो और मारपीट कर जान से खत्म कर दो। चौकिदार मंजूर आलम के घरवाले एवं गोतिया के कहने पर उन्हे छोड़ दिया। सूचक को बांधकर शेख अताउल्ला, शेख शहीद, शेख वाहीद एवं शेख अब्बास ने लाठी एवं लात, मुक्का से मारना शुरू किये। ये लोग करीब एक घंटा तक सूचक को पीटते रहे। शेख अताउल्लाह लाठी के हुर्रा से सूचक के आंख पर मारते हुए बोला कि साले का आंख फोड़ो ताकि भीख मांगकर खाना पड़े। शेख वाहिद सूचक का गर्दन दबाना शुरू किया तो सूचक का दम घुटने लगा तो किसी आदमी के द्वारा कहा गया कि जान से मत मारो, सरकारी कर्मचारी है, पूरा गांव फंस जायेगा। सूचक अचेत अवस्था में था कि करीब दो घंटे के बाद मुखिया उमर आलम पहुंचे और सूचक को मार रहे लोगो को डांट कर सूचक को छुड़ाये। तब सूचक वहां से थाना चला तो दोबारा उपरोक्त सभी अभियुक्तगण सूचक को घेर लिया और बोला कि थाना जाओगे तो काट देगें तब सूचक वादा किया कि थाना नहीं जाउंगा मुझे घर जाने दो। सूचक चौकीदार मंजूर आलम के कंधे का सहारा लेकर किसी प्रकार अपने घर पहुंचा और रात भर अपने घर पर रहा। सुबह होने पर अपने घर परिवार के लोगों के साथ थाना लाया गया जहां सूचक ने अपना फर्दबयान दिया।

03. सूचक के उक्त फर्दबयान के आधार पर थाना झंझारपुर (भैरवस्थान) में भा0दं0वि0 की धारा–147, 149, 367, 341, 342, 323, 325, 353, 332, 333, 307, 504 के अंतर्गत थाना कांड संख्या–66/2002 दिनांकित–17.06.2002 पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचनोंपरांत, विवेचक ने घटना को प्रथमदृष्टया सत्य पाते हुए नामजद अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–31.07.2005 को भा0दं0वि0 की धारा–147, 149, 367, 341, 342, 323, 325, 353, 332, 333, 307, 504 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या–23/2005 न्यायालय में समर्पित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपपत्रित अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोंक्त धाराओं में संज्ञान लिया गया।

04. अभियुक्तगण की उपस्थिति के पश्चात् एवं पुलिस कागजात की आपूर्ति के पश्चात् विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के आधार पर सत्र न्यायालय को विचारण हेतु दौरा सुपुर्द किया गया।

05. अभियुक्तगण के विरूद्ध का भा0दं0वि0 की धारा–307/149, 353, 467, 342, 504 के अंतर्गत दिनांक–07.03.2007 को दंडनीय अपराध के लिए आरोप का गठन किया गया तथा उसकी विशिष्टयां अभियुक्तगण को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तों ने दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

06. निर्दोषिता तथा मिथ्या आरोप ही प्रतिरक्षा पक्ष का बचाव है। धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में अभियुक्तगण ने आरोपित आरोपों से इंकार किया है तथा अपने को निर्दोष बताया है।

07. अब इस वाद में विनिश्चय हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है ?

मंतव्य

08. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने आरोपों के समर्थन में कुल 13 मौखिक साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जो निम्नलिखित हैं :–

अभियोजन साक्षी सं0–01	गिरिज देव तिवारी
अभियोजन साक्षी सं0–02	राजेन्द्र पासवान
अभियोजन साक्षी सं0–03	मो0 मोहिद
अभियोजन साक्षी सं0–04	जाकिर हुसैन
अभियोजन साक्षी सं0–05	पुलकित पासवान
अभियोजन साक्षी सं0–06	मंजुर आलम
अभियोजन साक्षी सं0–07	उमर आलम
अभियोजन साक्षी सं0–08	मो0 कुतबुद्दीन
अभियोजन साक्षी सं0–09	योगेन्द्र मुखिया
अभियोजन साक्षी सं0–10	स्वरूप मुखिया
अभियोजन साक्षी सं0–11	इसराईल
अभियोजन साक्षी सं0–12	तेतर मुखिया
अभियोजन साक्षी सं0–13	राजकुमार सिंह

उक्त साक्ष्य के अलावा अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फर्दबयान पर सूचक पुलकित पासवान एवं थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह के हस्ताक्षर को क्रमशः प्रदर्श–01 एवं 02 तथा औपचारिक प्राथमिकी श्री इन्तेखाब अहमद थाना प्रभारी झंझारपुर के लिखावट एवं हस्ताक्षर को प्रदर्श–03 अंकित करवाया गया है।

09. बचाव पक्ष द्वारा किसी भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. इस आपराधिक वाद में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–307/149, 353, 467, 342, 504 के अंतर्गत विरचित किया गया है। विरचित आरोप के बिन्दु पर इस तथाकथित घटना के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करें तो स्पष्ट होता है कि अभियोजन द्वारा साक्षी के रूप में 13 मौखिक साक्षी को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फर्दबयान पर सूचक पुलकित पासवान एवं थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह के हस्ताक्षर को क्रमशः प्रदर्श–01 एवं 02 तथा औपचारिक प्राथमिकी श्री इन्तेखाब अहमद थाना प्रभारी झंझारपुर के लिखावट एवं हस्ताक्षर को प्रदर्श–03 अंकित करवाया गया है।

11. फर्दबयान के अनुसार, चौकिदार शेख मंजूर आलम को शेख मुस्तफा उर्फ नथुनी की पत्नी को उसके टोला के लोग मार–पीट एवं गाली–गलौज करते है उससे सुरक्षा देने हेतु पत्र प्राप्त था जिसके लिए वह दिनांक 16.06.2022 को मुस्तफा की पत्नी से उसकी स्थिति की जायजा लेने चौकिदार पुलकित पासवान के साथ चौकिदार शेख मंजूर आलम पहुंचकर मुस्तफा की पत्नी से पुछा तो मुस्तफा की पत्नी बोली की अभी भी उनके विरोधी पक्ष उन्हे गाली–गलौज करते है। इसपर मंजूर चौकीदार ने शहीद एवं उसकी पत्नी को बोले कि मुस्तफा की पत्नी को गाली–गलौज करना बंद करे। इसपर वे लोग उतेजित हो गये तब मंजूर आलम उनलोगो की शिकायत थाना में करेगे यह कहते हुए वहां चला। चौकीदार मंजूर आलम के साथ सूचक जैसे ही मुस्तफा के दरवाजे से बढ़ा तभी शेख शहीद, शेख अताउल्लाह, शेख वाहीद एवं शेख अब्बास इन लोगों ने घेर लिये और गाली–गलौज शुरू कर दिये तब तक 40–50 आदमी अभियुक्त लोग के सहयोग में जुट गये और ये लोग सूचक एवं चौकीदर मंजूर आलम को टांगकर मदरसा में ले जाकर एक कमरा में बंद कर दिया तथा अताउल्ला आदेश दिये कि साले को बांधो और

मारपीट कर जान से खत्म कर दो। चौकिदार मंजूर आलम के घरवाले एवं गोतिया के कहने पर उन्हे छोड़ दिया। सूचक को बांधकर शेख अताउल्ला, शेख शहीद, शेख वाहीद एवं शेख अब्बास ने लाठी एवं लात, मुक्का से मारना शुरू किये। ये लोग करीब एक घंटा तक सूचक को पीटते रहे। शेख अताउल्लाह लाठी के हुर्रा से सूचक के आंख पर मारते हुए बोला कि साले का आंख फोड़ो ताकि भीख मांगकर खाना पड़े। शेख वाहिद सूचक का गर्दन दबाना शुरू किया तो सूचक का दम घुटने लगा तो किसी आदमी के द्वारा कहा गया कि जान से मत मारो, सरकारी कर्मचारी है, पूरा गांव फंस जायेगा। सूचक अचेत अवस्था में था कि करीब दो घंटे के बाद मुखिया उमर आलम पहुंचे और सूचक को मार रहे लोगो को डांट कर सूचक को छुड़ाये। तब सूचक वहां से थाना चला तो दोबारा उपरोक्त सभी अभियुक्तगण सूचक को घेर लिया और बोला कि थाना जाओगे तो काट देगें तब सूचक वादा किया कि थाना नहीं जाउंगा मुझे घर जाने दो। सूचक चौकीदार मंजूर आलम के कंधे का सहारा लेकर किसी प्रकार अपने घर पहुंचा और रात भर अपने घर पर रहा। सुबह होने पर अपने घर परिवार के लोगों के साथ थाना लाया गया जहां सूचक ने अपना फर्दबयान दिया।

12. उक्त बिन्दु पर अभियोजन द्वारा गिरिज देव तिवारी को अभियोजन साक्षी संख्या–01 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन करते हैं कि दिनांक 18.04.2003 को वह भैरवस्थान पर थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित था। अनुसंधानकर्ता राम कुमार से उसी दिन वह भैरवस्थान थाना कांड सं0–66/2002 का प्रभार लिया। वह डायरी का अवलोकन किया तथा घटना सही पाकर एवं वरीय पदाधिकारीयों के निर्देशानुसार आरोप पत्र समर्पित किया। इन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करते है कि उसने घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया है और गवाहों का बयान नहीं दर्ज किया है तथा लंबित कार्यवाही उसने किया है।

अभियोजन द्वारा सूचक पुलकित पासवान को अभियोजन साक्षी संख्या–05 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने मुख्यपरीक्षण के कंडिका–1 में कथन करते हैं कि वह सूचक है। घटना करीब पांच वर्ष पूर्व 4–5 बजे शाम की है। रविवार के दिन था। वह हाजिरी देने भैरवस्थान थाना गया था। बड़ा बाबू कहे कि मंजूर के साथ जाइये तथा देखिए कि वह शहीद को समझाता है या नहीं। दोनों दियादों में झंझट हुआ था। इसी प्रकार मुख्यपरीक्षण के कंडिका–2 में कथन करते है कि मंजूर के साथ वह रैयाम गया। मंजूर शहीद को समझाने लगा। वह सड़क पर खड़ा हो गया। 5–7 लोग बाहर से आये तथा उसे लप्पड़–थप्पड़ से मारने लगे तथा वे उसे घसीटने हुए मदरसा ले गए। उनका नाम अताबुल, वहीद, अब्बास, शहीद है तथा अन्य को नहीं पहचान सका। इसी प्रकार कंडिका–3 में कथन करते है कि मदरसा के कमरा में अभियुक्तगण उसे बन्द कर दिए। अताउल्लाह ने कहा था कि इसका आंख फोड़ दो। मंजूर थाना को खबर देने जा रहा तो मुखिया उमर आलम से मुलाकात हुआ। उसने मुखिया को सभी बात बताया तथा मुखिया के रहने पर उनको मदरसा ले आया। वे उसे खुलवाए तथा मुझे बाहर किये। मंजूर ने कहा कि इसे छोड़ दीजिए इलाज कराने अस्पताल ले जाएगे। परन्तु वे लोग नहीं माने तथा थाना की ओर ले जाने नहीं दिए। मंजूर के कंधा का सहारा लेकर मैं घर आया। रात को मैं घर रहा तथा सुबह थाना गया। इसी प्रकार कंडिका–04 एवं 05 में कथन करते है कि बड़ा बाबू को घटना के बारे में बताया। वे उसे लिखे तथा सुना दिए। सही पकार मैने अपना हस्ताक्षर किया। गवाह ने अताबुल को पहचान किया। गवाह ने उपस्थित अभियुक्त सत्तार, मो0 कासिम को देखकर कहा कि वे सभी घटना में थे। परन्तु उनका नाम नहीं पता है तथा अन्य को भी देखकर पहचानने का दावा किया। इन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करते है कि सभी अभियुक्तो का नाम नहीं लिया है तथा किसी भी एक विशेष अभियुक्त पर आरोप नही लगाया है तथा प्रतिपरीक्षण की कंडिका–10 में कहा है कि इस केस के सभी अभियुक्तो का नाम तथा पिता का नाम नही जानता है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका–16 में इन्होंने कहा है कि जहां पर मारपीट की घटना हुई है उसकी चौहदी नहीं बता सकता है इस तरह सूचक के द्वारा घ ाटनास्थल को साबित नहीं कर सका है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका–18 में इन्होंने कहा है कि किसका लप्पड़–थप्पड़ उसे लगा नहीं कह सकता है, इस तरह सूचक के द्वारा मारपीट की घटना साबित नहीं कर सका है। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण में अभियोजन साक्षी संख्या–08 Hearsay Witness है। अभियोजन के

द्वारा चिकित्सक को परीक्षित नही कराया गया जिससे अभियोजन के द्वारा जख्म प्रतिवेदन के तथ्यों को साबित करने में असफल रहा है। सूचक के द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में प्राथमिकी का समर्थन किया है परंतु प्रतिपरीक्षण में घटनास्थल, मारपीट एवं प्राथमिकी को साबित करने में असफल रहा है तथा किसी भी अनुसंधानकर्ता के द्वारा आरोप पत्र को प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया है जिसके कारण अभियोजन के द्वारा आरोप पत्र को साबित करने में असफल रहा है, इसलिए अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी संख्या–06, 07, एवं 13 के साक्ष्य का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। अभियोजन को पर्याप्त समय, चेतावनी तथा न्यायालय द्वारा प्रक्रिया निर्गत करने के बाद भी अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों के अलावे अन्य किसी महत्वपूर्ण साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा अभियोजन के द्वारा परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य से प्राथमिकी, घटनास्थल, जख्म प्रतिवेदन एवं आरोप पत्र के तथ्यों को साबित करने में असफल रहा है।

13. इस तरह अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी के मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण एवं फर्दबयान में वर्णित तथ्यों में परस्पर भारी विरोधाभास है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–307/149, 353, 467, 342, 504 के आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं की गयी है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष, मुदालहगण के विरूद्ध आरोपित धाराओं को संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है तथा इसका लाभ बचावपक्ष को न्यायहित में दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

14. उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों एवं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य एवं वाद की परिस्थितियों के विवेचनोंपरांत इस न्यायालय का यह अभिमत है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–307/149, 353, 467, 342, 504 के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा हैं।

आ दे श

15. अभियुक्तगण **01. मो0 शफीक** पिता–बाबू जान, **02. सनाउल्लाह** पिता–शमसूल हक, **03. अली हुसैन** पिता–शेराउद्दीन, **04. मो0 कासिम** पिता–पुत हसन, **05. नवीजान** पिता–अलीहक, **06. मो0 अताउल्लाह** पिता–अयुब, **07. अब्दुल वहीद** पिता–हबीब, **08. अब्बास** पिता–मो0 जान, **09. इजराइल** पिता–मो0 जान, **10. मुस्तफा** पिता–नवीवक्स, **11. कलीमुल्लाह** पिता–अयूब, **12. मो0 इस्लाम** पिता–गपफार, **13. बेलाल** पिता–इसराइल, **14. सत्तार** पिता–इस्माइल, **15. शाकीर** पिता–पुतहसन, **16. रजिक** पिता–नवीजान, **17. मो0 रिजवान** पिता–अताउल्लाह, **18. मो0 इरफान** पिता–अताउल्लाह, **19. मुमताज** पिता–महिउद्दीन, **20. समद** पिता–रहमत, **21. अहमद** पिता–रहमत, **22. मुर्तूजा** पिता–नवीवक्स, **23. सैफुल्लाह** पिता–मुर्तूजा, साकिनान–रैयाम, थाना–भैरवस्थान, जिला–मधुबनी का भा0द0वि0 की धारा–307/149, 353, 467, 342, 504 के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर रिहा किया जाता है तथा उनके जमानतदार अपने जमानत दायित्वों से मुक्त किये जाते हैं। कार्यालय, निर्णय की प्रति धारा 365 द0प्र0सं0 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी, मधुबनी को यथाशीघ्र प्रेषित करें तथा अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागारित करें।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हिन्दी में पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया गया।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत) **लेखापित**

(अनिल कुमार राम)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
झंझारपुर,मधुबनी
23.06.2026

(अनिल कुमार राम)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय
झंझारपुर,मधुबनी
23.06.2026